

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश
ऑडिट भवन, टी सी-35-V-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

संख्या: प्र.म.ले.(ले.प.-II)उ.प्र./प्रशा./विविध/e-183224/189

दिनांक: 27.11.2025

कार्यालय आदेश

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कार्यालय आदेश संख्या: प्र.म.ले.(लेखापरीक्षा-प्रथम)/प्रशासन/फा.सं. 871/2025-26/200 दिनांक: 25.11.2025 के अनुपालन में सिविल संवर्ग के सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नव सृजित CEA एवं CRA कैडर के कार्यान्वयन हेतु मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र सं.: 43-Staff Wing/2025, सं.: 1104-Staff (Appt. III)/167-2025 दिनांक: 21.11.2025 के माध्यम से दिए गए दिशानिर्देशों को भली-भांति अवलोकन करने के उपरान्त SAI-Portal (<https://training.cag.gov.in/Login.aspx>) पर Civil, CEA एवं CRA कैडर में से किसी एक विकल्प का चयन दिनांक 05.12.2025 (11:59 PM) तक अनिवार्य रूप से भरना सुनिश्चित करेंगे।

Office Order

In compliance of office order No. प्र.म.ले. (लेखापरीक्षा-प्रथम)/प्रशासन/फा.सं. 871/2025-26/200 dated 25.11.2025 of the office of the Principal Accountant General (Audit-I), Uttar Pradesh, Prayagraj all Senior Audit Officers and Assistant Audit Officers of Civil Cadre are directed to ensure that they will choose any one option from Civil, CEA and CRA cadre mandatorily by 05.12.2025 (11:59 PM) on SAI-Portal (<https://training.cag.gov.in/Login.aspx>) after carefully reviewing the guidelines issued by Headquarters vide Circular No. 43-Staff Wing/2025, No. 1104-Staff (Appt. III)/167-2025 dated 21.11.2025 for implementation of newly created CEA and CRA cadre.

संलग्नक: यथोपरि

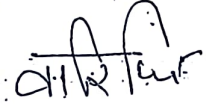
हस्ता/-

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन

संख्या: प्र.म.ले.(ले.प.-II)उ.प्र./प्रशा./विविध/e-183224/TR-854 दिनांक: 27.11.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
2. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश, लखनऊ
3. समस्त वर्गाधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ.प्र., लखनऊ
4. व.ले.प.अ./AMG-I, AMG-II, AMG-III एवं AMG-IV (नियंत्रण), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ.प्र., लखनऊ
5. व.ले.प.अ./विधिक प्रकोष्ठ/सामान्य प्रशासन/पी.सी./प्रतिवेदन-PSU/Non-PSU/राजस्व/आई.टी.ए, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उ.प्र., लखनऊ
- ✓ 6. व.ले.प.अ./आई.टी.सेल को इस आशय के साथ प्रेषित कि कार्यालय आदेश की एक प्रति Office Website पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. सूचना पट्ट
- 8.



वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
सं०-प्र०म०ले०(लेखापरीक्षा-प्रथम)/प्रशासन/फा.सं. 871/2025-26/ 200 दिनांक 25.11.2025

कार्यालय आदेश

नव सृजित CEA और CRA कैडर के कार्यान्वयन हेतु मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 43-स्टाफ विंग/2025, संख्या: 1104-स्टाफ (नियुक्ति-III)/167-2025 दिनांक: 21.11.2025 (प्रति संलग्न) के माध्यम से दिशानिर्देश निर्गत किये गए हैं। जिसके अनुक्रम में इस कार्यालय एवं इस कार्यालय के संवर्ग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्यरत समस्त वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह SAI- Capacity Building Portal (<https://training.cag.gov.in/Login.aspx>) पर Civil, CEA एवं CRA कैडर में से किसी एक विकल्प का चयन दिनांक: 05.12.2025 (11:59 PM) तक भरना सुनिश्चित करेंगे।

Office Order

For the implementation of the newly created CEA and CRA cadre, guidelines have been issued by the Headquarters vide Circular No. 43-Staff Wing/2025, No: 1104-Staff (Appointment-III)/167-2025 dated: 21.11.2025 (copy enclosed). In continuation of which, all Senior Audit Officers and Assistant Audit Officers working in this office and in the offices under the cadre control of this office are directed that they shall ensure to choose and fill the option from Civil, CEA and CRA cadre on SAI- Capacity Building Portal (<https://training.cag.gov.in/Login.aspx>) by 05.12.2025 (11:59 PM).

प्रति

व. उप महालेखाकार/प्रशासन

सं०-प्र०म०ले०(लेखापरीक्षा-प्रथम)/प्रशासन/फा.सं. 871/2025-26/ 1963

तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) उ.प्र., प्रयागराज; प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) उ० प्र० लखनऊ एवं सचिव, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ
2. समस्त वर्गाधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-प्रथम) उ.प्र., प्रयागराज, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) उ० प्र० लखनऊ एवं कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ
3. सभी ऑडिट मैनेजमेंट ग्रुप के नियंत्रण अनुभाग के शाखाधिकारी
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/रिपोर्ट, आई.ए., आई. एंड पी.ए., सामान्य प्रशासन, आई.एस.डब्ल्यू, कल्याण, रोकड़, पीसी-4, एफ.ए.एस.जी., परीक्षा, ए.पी.जी., डी.ए.सी., सहायक निदेशक (राजभाषा)
5. स० लेखापरीक्षाधिकारी/वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) प्रकोष्ठ
6. सूचना पट्ट

प्रति

व. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

24.11.2025